राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 189 / 2025
निर्णय दिनांकः 13.04.2026
जीसीएमएस सं0: 2026 / 40
दायर दिनांकः 09.02.2026

1. मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद इस्माईल जाति तेली निवासी सुजानगढ़।

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री शाहबाज खान ।
2. प्रतिवादी पैरोकारराज तहसीलदार सुजानगढ़।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी की वाके रोही चुहास पटवार हल्का भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ मे खाता सख्या 10 के खेत खसरा न. 56, 59 की भूमि खातेदारी दर्ज है। जिसमे क्र.सं. 17 पर वादी का नाम दर्ज है। वाके रोही चुहास पटवार हल्का भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ मे खाता सख्या 10 के खेत खसरा न. 56, 59 की भुमि मे वादी का नाम हारून पुत्र इस्माईल नाम गलत दर्ज है जबकि वादी का नाम मोहम्मद उमर पुत्र मो. इस्माईल है। मोहम्मद उमर पुत्र मो. इस्माईल वादी का सही नाम है जो कि उसके आधार कार्ड व पहचानपत्र, पेनकार्ड, ई–श्रमकार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी पासपोर्ट मे दर्ज है राजस्व रेकार्ड में वादी का सही नाम नही होने के कारण उसको बैक ऋण एवं सरकारी लाभ प्राप्त करने मे भारी असुविधा हो रही है, अब वादी अपने राजस्व रेकार्ड मे नाम अपने आधारकार्ड के अनुसार दर्ज करवाना चाहता है, जो कि वादी का कानूनी अधिकार है।

राजस्व रेकार्ड व अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम अलग– अलग होने व सही नही होने से वादी को राजस्व सम्बन्धित मिलने वाले सरकारी फायदो मे भारी परेशानियों का सामना करना पडता है। रेकार्ड मे नाम की भिन्नता होने के कारण वादी को खातेदारी अधिकारो से वंचित होना पड. रहा है। वादी कस्बा सुजानगढ का निवासी है एव वादी के खातेदारी खेत

वाके रोही चुहास पटवार हल्का भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ मे स्थित है। इस कारण वाद सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि

(क) खेत खसरा न. 56,59 खाता सख्या 10 वाके रोही चुहासं पटवार हल्का भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ की भूमि मे वादी का नाम हारून पुत्र इस्माईल के स्थान पर मोहम्मद उमर पुत्र मो. इस्माईल किया जावे।

(ख) तहसीलदार सुजानगढ को आदेश दिया जावे कि मुताबिक आदेश/डिकी के राजस्व रेकार्ड में वादी का सही नाम मोहम्मद उमर पुत्र मो. इस्माईलं दर्ज कर लिया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित हितकर वादी को दिलवाया जावे।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हारून पुत्र इस्माइल दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम मोहम्मद उमर पुत्र मा0 इस्माईल दर्ज है। हारून व मोहम्मद उमर दोनों एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में मोहम्मद उमर पुत्र मो0 इस्माईल दुरूस्त करने की अभिषंशा की गयी ।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार, मौका रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा आधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि में सही नाम मो0 उमर पुत्र मो0 इस्माइल दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत हाता है।

–:आदेश:–

वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही चुहास पटवार हल्का भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ मे खाता सख्या 10 के खेत खसरा न. 56, 59 में दर्ज खातेदार का नाम हारून पुत्र इस्माइल के स्थान पर मो0 उमर पुत्र मो0 इस्माईल दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

बइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

मो0 उमर बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा न0189 सन 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री शाहबाज खान, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही चुहास पटवार हल्का भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ मे खाता सख्या 10 के खेत खसरा न. 56, 59 में दर्ज खातेदार का नाम हारून पुत्र इस्माइल के स्थान पर मो0 उमर पुत्र मो0 इस्माईल दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 **माह 04 2026**

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।